Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.09.23	परिवादी आर.बी.टी.सी प्रा.लि. सहित श्री राजू खान अधि0 ने एक शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्णित कारण उचित प्रतीत होने से प्रकरण आज दिनांक 09.09.23 को सुनवाई में लिया गया। इसी स्तर पर परिवादी की ओर से एक आवेदन वास्ते परिवाद वापसी बावत् अन्तर्गत **धारा 257 द0प्र0सं0** के अधीन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से परिवादी द्वारा व्यक्त किया है कि प्रकरण में परिवादी का आरोपी से प्रश्नगत चैक राशि के संबंध में न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और अब कोई लेन–देन शेष नहीं है, अब परिवादी आरोपी के विरूद्ध प्रश्नगत परिवाद नहीं चलाना चाहता और परिवाद वापस करना चाहता है। अतः न्यायालय के बाहर राजीनामा हो जाने के कारण प्रश्नगत परिवाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है। परिवादी की **पहचान श्री राजू खान अधि0 द्वारा सुनिश्चित की गयी है।** प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रस्तुत परिवाद आरोपी के विरूद्ध धारा 406,420, 120बी, 34 भा.द.वि के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जो कि परिवादी की साक्ष्य हेतु नियत है। परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री राजू खान ने दिनांक 09.09.23 को ही स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव के आरोपी के विरूध्द प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया था। अतः प्रश्नगत आवेदन विचारोपरांत स्वीकार कर प्रस्तुत परिवाद में आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर आरोपीगण **संजय मेहता एवं अर्चित जैन** को उन्मोचित किया जाता है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे । Sd/- 9/09/23 **(श्रीमति अश्विनी सिंह)** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	Sd/- Adv RAJU KHAN 09/09/2023